न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
199 / 22	16.08.2022	12.05.2025

बउनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र शादीराम जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1. जसवन्त
2. मुकेश
3. बबलू पुत्रान रामकुवार जातियान अहीर निवासी बल्लूवास तह0 मुण्डावर
4. रायकौर पत्नी मूला जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर
5. करतार पुत्र शीशराम जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर
6. लीलाराम
7. सीताराम
8. कृष्ण
9. विरेन्द्र पुत्रान धर्मसिंह जातियान अहीर निवासी बल्लूवास तह0 मुण्डावर
10. प्यारेलाल पुत्र शीशराम जाति अहीर निवासी गुर्ज्जर मोहल्ला, रेलवे स्टेशन के पास रेवाडी हरि0।
11. महेन्द्र पुत्र गणपत जाति अहीर निवासी बल्लुवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासी बल्लुवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
14. उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
15. प्रबंधक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा मुण्डावर, अलवर।

प्रतिवादीगण

16. दयाचन्द पुत्र शादीराम जाति अहीर
17. नारायण देवी पत्नी शादीराम जाति अहीर
18. ब्रहप्रकाश पुत्र शादीराम जाति अहीर निवासीयान बल्लुवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तर0 प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 158 रकबा 0.18 हैव०, व ख0न0 156 रकबा 0.35 हैक्०, व ख0न0 157 रकबा 0.35 हैव०, वाके ग्राम बल्लुवास तह० मुण्डावर में स्थित है। जिसमें से आराजी हाल ख0न0 156 रकबा 0.35 हैक्०, व ख0न0 157 रकबा 0.35 हैक्०, इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि वर्तमान सैटलमेंट सम्वत 2072 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख०न० 146 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से हाल ख0न0 158 रकबा 0.18 हैक्०, व गत ख०न० 144 रकबा 0.28 हैक्०, से हाल ख०न० 156 रकबा 0.35 हेक्०, व गत्त ख0न0 145 रकबा 0.28 हैक्०, से हाल ख०न० 157 रकबा 0.35 हैक्०, पैमूद किया गया है। नकल मिलानक्षेत्रफल संलग्न है।
3. यह है कि आराजी ख0न0 146 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा मिन वादीगण के पिता/पति शादीराम ने जरियें रजिर्स्टड तबादला प्राप्त की है तथा मिन वादीगण के पिता/पति के नाम तबादला के आधार पर राजस्व रिर्कोड में दर्ज व मंजूर हो चुका है तथा मिन वादीगण के पिता/पति के फौत होने पर आराजी जरियें विरास्त इन्तकाल मिन वादीगण को प्राप्त हुयी है तथा मिन वादीगण के नाम का अंकन राजस्व रिर्कोड में दर्ज है तथा मिन वादीगण आराजी पर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है।
4. यह है कि वर्तमान सेटलमेंट सम्वत 2072 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गत ख० न० से हाल ख०न० पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ख०न० 146 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से हाल ख0न0 158 रकबा 0.18 हैक्० पैमूद कर, उक्त आराजी ख0न0 146 का रकबा 0.07 हैक्०, गत ख0न0 144 रकबा 0.28 हैक्०, से पैमूद हाल ख0न0 156 में मिलाकर, उक्त ख०न० 156 का रकबा 0.35 हैक्०, बनाकर प्रतिवादी स० 1 ल० 3 के पिता व 4 के नाम दर्ज कर दिया व इसी प्रकार से गत ख०न0 146 का रकबा 0.07 हैक्०, गत ख०न० 145 रकबा 0.28 हैक्०, से पैमूद हाल ख0न0 157 में मिलाकर, ख0न0 157 का रकबा 0.35 हैक्०, बनाकर, प्रतिवादी स० 5 ल० 12 के नाम दर्ज कर दिया, जबकी प्रतिवादी स० 1 ल0 12 की आराजी ख0न0 144 व 145 का रकबा 0.28 हैक्०, व 0.28 हैक्०, रही है। इसलिए प्रतिवादी स० 1 ल० 3 के पिता व 4 के नाम दर्ज आराजी ख0न0 156 रकबा 0.35 हैक्०, में से रकबा 0.07 हैक्०, व प्रतिवादी स० 5 ल0 12 के नाम दर्ज आराजी ख0न0 157 रकबा 0.35 हैक्0, में से रकबा 0.07 हैक्०, कम किया जाकर, मिन वादीगण की आराजी ख0न0 158 रकबा 0.18 हैक्०, में मिलाया जाकर, आराजी ख0न0 158 का रकबा 0.32 हैक्०, किया जाकर, राजस्व रिर्कोड

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (कोटपूतली-तिजारा)

दूरुस्त किया जावे । जिसके लिये दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश किया जाना लाजिमी आया है।

5. यह है कि हम वादीगण आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है. इसलिए मिन वादीगण को गलत अंकन की जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन अब दिनांक 18/7/2022 को मिन वादीगण को राजस्व रिकोड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकोड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर राजस्व रिकॉड की नकल प्राप्त कर, प्रतिवादी स० 1 ल० 8 से राजस्व रिकॉड दूरुस्त करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने रिकॉड दूरुस्त कराने से मना कर दिया। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

6. यह है कि यह है कि दावा के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 18/7/2022 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने व प्रतिवादी सं० 1 ल० 8 द्वारा राजस्व रिकोड दूरूरत करने से मना करने से पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

7. यह है कि दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती राजस्व रिर्कोड का पेश किया जा रहा है। जिसमें राजस्थान सरकार जरियें भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय को मुख्य पक्षकार बनाया गया है, परन्तु राजस्थान सरकार के खिलाफ वाद पेश करने से पूर्व नोटिस 2 माह धारा 80 जा० दी० दिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिए नोटिस दिये जाने से माफी चाहने हेतु व बिला नोटिस दिये वादपेश करने की इजाजत हेतु अलग से वादपत्र के साथ धारा 80 (2) जा० दी० का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

11. अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे–

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्त इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादी स० 1 व 2 के नाम दर्ज गत ख0न0 144 रकबा 0.28 हैक०, से पैमूद हाल ख0न0 156 रकबा 0.35 हैक०, में से रकबा 0.07 हैक०, व इसी प्रकार प्रतिवादी स० 2 ल० 8 के नाम दर्ज गत ख0न0 145 रकबा 0.28 हैक०, से पैमूद हाल ख0न0 157 रकबा 0.35 हैक०, में से रकबा 0.07 हैक०, कम किया जाकर, मिन वादीगण के नाम दर्ज आराजी हाल ख0न0 158 रकबा 0.18 हैक०, में मिलाया जाकर, हाल ख०न० 158 का रकबा 0.32 हैक0, दर्ज किया जावे तथा मिन वादीगण के हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम ख०न० 156 व 157 में से हजफ कर, राजस्व रिर्कोड दूरुस्त फरमाया जावे।

(ब) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 की ओर से श्री सतीश यादव अधिवक्ता ने वकलातनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 को जबाव दावा प्रस्तुत किये जाने बाबत कई अवसर प्रदान करने उपरान्त भी जबाव प्रस्तुत नही किया गया। ऐसी स्थिति में दिनांक 15.04.2025 को जबाव दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 15 की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित नही होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने दावे दाईत में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2073–76, के खसरा नम्बर 158, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खसरा नम्बर 156, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खसरा नम्बर 157, प्रदर्श–4 विनियम पत्र, प्रदर्श–5 इन्तकाल संख्या 241, प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–11 जमाबन्दी सम्वत 2072–72, प्रदर्श–12 इन्तकाल संख्या 1051, प्रदर्श–13 इन्तकाल संख्या 46, प्रदर्श–14 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–15 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–16 जमाबन्दी सम्वत 2065–68, प्रदर्श–17 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–18 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–19 जमाबन्दी सम्वत 2069–72, प्रदर्श–20 मिलान क्षेत्रफल 2072, प्रदर्श–21 जमाबन्दी सम्वत 2041 पेश की है।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वाके ग्राम बल्लुवास में स्थित है। विवादित आराजी के बाबत श्रीमान अदालत सहायक जिलाधिश किशनगढ–बास द्वारा निर्णय पारित किया गया। श्रीमान अदालत सहायक जिलाधिश किशनगढ–बास के निर्णय की आज दिनांक तक कोई अपील नही हुई है। श्रीमान अदालत द्वारा निर्णय की पालना में हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल नम्बर 46 दर्ज किया गया। वह इन्तकाल सही दर्ज किया गया। परन्तु इन्तकाल का अमल जमाबन्दी में करते समय हिस्सा कम अमल दरामद कर दिया गया। जो गलत है। जो जमाबन्दी मे आज दिनांक तक वह अमल बदस्तुर चल रहा है। इसलिए वादी का वाद को स्वीकार किया जाकर वाद के अनुतोषानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस वादी विद्वान अधिवक्ता पर मनन करने पर वाद का विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–13 इन्तकाल नम्बर 46 जो श्रीमान सहायक जिलाधिश किशनगढबास के आदेश दिनांक 04.04.1981 के अनुसार दर्ज किया गया। दर्ज इन्तकाल संख्या 46 में

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

उल्लेखित विवादित आराजी खसरा नम्बर 146 का रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा दर्ज है। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा आगामी जमाबन्दी चोसाल तैयार करते विवादित आराजी खसरा नम्बर 146 का रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा के स्थान पर 18 है0 दर्ज कर दिया गया। उक्त आराजी खसरा नम्बर 146 का रकबा 0.07 है0 गत खसरा नम्बर 144 जिसका रकबा 0.28 है0 से हाल पैमूद खसरा नम्बर 156 से मिलाकर उक्त खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 156 का रकबा 0.28 है से 0.35 है0 कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के नाम दर्ज कर दिया। इसी प्रकार से गत खसरा नम्बर 146 का रकबा 0.07 है0 गत खसरा नम्बर 145 का रकबा 0.28 है से हाल खसरा नम्बर 157 में मिलाकर हाल खसरा नम्बर 157 का रकबा 0.35 है0 बना दिया व प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 12 के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 की आराजी खसरा नम्बर 144 व 145 का रकबा 0.28 – 0.28 है0 ही रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 12 के नाम अमल दरामद हो रहा है। इन्तकाल नम्बर 46 के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त किया जावे।

आदेश

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर है। वाके ग्राम बल्लुवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के इन्तकाल नम्बर 46 दिनांक 14.04.1981 के अनुसार **ख0न0 144 रकबा 0.28 हैक० से पैमूद हाल ख0न0 156 रकबा 0.35 हैक० में से रकबा 0.07 हैक०, व इसी प्रकार प्रतिवादी स० 2 ल० 8 के नाम दर्ज गत ख0न0 145 रकबा 0.28 हैक०, से पैमूद हाल ख0न0 157 रकबा 0.35 हैक०, में से रकबा 0.07 हैक०, कम किया जाकर आराजी हाल ख0न0 158 रकबा 0.18 हैक० में मिलाया जाकर, हाल ख०न० 158 का रकबा 0.32 हैक0, दर्ज किया जावे तथा मिन वादीगण के हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम ख०न० 156 व 157 में से हजफ कर हाल खसरा नम्बर 158 कां रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिर्कोड के रकबे को दुरूस्त कर वादीगण के हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम को हजफ कर अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी।**

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
199 / 2022	16.08.2022	12.05.2025

बउनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र शादीराम जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. जसवन्त
2. मुकेश
3. बबलू पुत्रान रामकुवार जातियान अहीर निवासी बल्लूवास तह0 मुण्डावर
4. रायकौर पत्नी मूला जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर
5. करतार पुत्र शीशराम जाति अहीर निवासी बल्लूवास तहसील मुण्डावर
6. लीलाराम
7. सीताराम
8. कृष्ण
9. विरेन्द्र पुत्रान धर्मसिंह जातियान अहीर निवासी बल्लूवास तह0 मुण्डावर
10. प्यारेलाल पुत्र शीशराम जाति अहीर निवासी गुर्ज्जर मोहल्ला, रेलवे स्टेशन के पास रेवाडी हरि0।
11. महेन्द्र पुत्र गणपत जाति अहीर निवासी बल्लुवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासी बल्लुवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
14. उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
15. प्रबंधक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुण्डावर, अलवर।

प्रतिवादीगण

16. दयाचन्द पुत्र शादीराम जाति अहीर
17. नारायण देवी पत्नी शादीराम जाति अहीर
18. ब्रहप्रकाश पुत्र शादीराम जाति अहीर निवासीयान बल्लुवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तर0 प्रतिवादी

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

-: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से **श्री अरूण पण्डित एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.05.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:-**

वाके ग्राम बल्लुवास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के इन्तकाल नम्बर 46 दिनांक 14.04.1981 के अनुसार ख0न0 144 रकबा 0.28 हैक्० से पैमूद हाल ख0न0 156 रकबा 0.35 हैक्० में से रकबा 0.07 हैक्०, व इसी प्रकार प्रतिवादी स० 2 ल० 8 के नाम दर्ज गत ख0न0 145 रकबा 0.28 हैक्०, से पैमूद हाल ख0न0 157 रकबा 0.35 हैक्०, में से रकबा 0.07 हैक्०, कम किया जाकर आराजी हाल ख0न0 158 रकबा 0.18 हैक्० में मिलाया जाकर, हाल ख०न० 158 का रकबा 0.32 हैक0, दर्ज किया जावे तथा मिन वादीगण के हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम ख०न० 156 व 157 में से हजफ कर हाल खसरा नम्बर 158 का रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिर्कोड के रकबे को दुरूस्त कर वादीगण के हक व हिस्से तक प्रतिवादीगण का नाम को हजफ कर अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सुरे
उपखण्ड अधिकारी
(खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

12/5/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थी उदय
[illegible] के मूल [illegible] [illegible] निर्धारित है
[illegible]
[illegible]
पत्रावली में [illegible]
की पत्रावली [illegible] के साथ [illegible] है

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)